

# बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 1495 /अकादमी/चयन समिति/2012

भोपाल, दिनांक 6/8/12

## अधिसूचना

भाभा कालेज ऑफ एजुकेशन एन.एच.12 जाट खेडी होशंगाबाद रोड, मिसरोद, भोपाल में व्याख्याता के पद पर चयन हेतु परिनियम 28 के प्रावधानान्तर्गत महाविद्यालय द्वारा प्रसारित विज्ञापन के प्रत्युत्तर में विश्वविद्यालय द्वारा गठित चयन समिति की बैठक दि. 02.06.2012 के कार्यवृत्त कुलपतिजी द्वारा अनुमोदित किये गये हैं । चयन समिति की अनुशंसानुसार नियुक्ति हेतु निम्नलिखित उम्मीदवार गुणानुक्रम में योग्य पाये गये हैं :-

क्र०	नाम एवं पता	जिस पद पर चयन हुआ	संकाय	चयन तिथि
01	सुश्री सुजाता गुप्ता 180/2सी साकेत नगर, भोपाल	व्याख्याता	एम.एड.	02.06.2012
02	सुश्री प्रीति सक्सेना 202/9 बी साकेत नगर, भोपाल	व्याख्याता	एम.एड.	02.06.2012
03	सुश्री रंजना सिंह हा.न.155, रक्षा नगर, बाडा पटेरा शारदा मंदिर के पास, जबलपुर	व्याख्याता	एम.एड.	02.06.2012
	प्रतिक्षा सूची :-	व्याख्याता		
6	सुश्री प्रतिभा छीपा	व्याख्याता	एम.एड.	02.06.2012

पृ.क्रमांक 1496 /संम्ब.प्रकोष्ठ/चयनसमिति/2012  
प्रतिलिपि:-

(डॉ. बी. भारती)  
उप-कुलसचिव अकादमी  
भोपाल, दिनांक 6/8/12

1. अध्यक्ष, भाभा कालेज ऑफ एजुकेशन एन.एच.12 जाट खेडी होशंगाबाद रोड, मिसरोद, भोपाल को निर्देशित किया जाता है, कि उपरोक्तानुसार चयनित व्याख्याता के नियुक्ति पत्र जारी करे जिसमें उल्लेख करे कि :-
  - (i) यह नियुक्ति म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम क्र.28 (कालेज कोड-28) के तहत की गई है ।
  - (ii) वेतनमान, सेवा शर्तों एवं अवकाश इत्यादि का उल्लेख करें तथा नियुक्त किये गये व्याख्याताओं के कार्यभार ग्रहण करने की सूचना एवं संबंधित व्याख्याता के प्रमाणित छायाचित्र चस्था कर सूची सात दिवस की समयावधि में विश्वविद्यालय को प्रेषित करें ।
  - (iii) परिनियम क.28 मे वर्णित प्रावधानानुसार महाविद्यालय प्रबंधन एवं नियुक्त हुए व्याख्याताओं के मध्य निर्धारित फार्मेट में एग्रीमेंट /कान्ट्रेक्ट की प्रमाणित प्रति विश्वविद्यालय प्रेषित करें।

निजी नस्ती ।

आवश्यक सूचना : जो व्याख्याता नियुक्ति उपरांत महाविद्यालय छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं उनकी सूचना विश्वविद्यालय में अवश्य उपलब्ध करावें, तथा रिक्त पद की पूर्ति हेतु पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत करें ।

उप-कुलसचिव, अकादमी